(2)

बीस रुपये TWENTY RUPEES दस रुपये TEN RUPEES
विलोपित विलोपित

न्यायालयः— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2016 निगरानी R-13-PBR/16

श्री एस.पी. धाकड़ एडवोकेट द्वारा आज दि. 31.12.16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 31-12-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
9165
31-12-16

भारतसिंह पुत्र देवीसिंह दांगी निवासी ग्राम खिरियादांगी तहसील आरोन जिला गुना म.प्र.

——— आवेदक

विरूद्ध

1. कमलेश पुत्र नारायण प्रसाद निवासी ग्राम खिरियादांगी तहसील आरोन जिला गुना म.प्र.
2. तहसीलदार आरोन जिला गुना म.प्र.
3. राजस्व निरीक्षक वृत्त–3 पनवाड़ी हाट तहसील आरोन जिला गुना म.प्र.

——— अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर कलेक्टर जिला गुना के प्र.क. 11/15–16निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19.10.2016 के बिरूद्ध निगरानी जानकारी दिनांक 05.11.2016 से अवधि अन्दर प्रस्तुत।

माननीय महोदय

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है।

निगरानी के संक्षेप में तथ्य :—

यह कि, आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत्त-3 पनवाड़ी हाट तहसील आरोन जिला गुना के समक्ष भूमि सर्वे क. 725/2 रकबा 1.881 है. के संबंध में सीमांकन हेतु आवेदन पत्र संहिता की धारा 129 के अधीन प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्र.क. 02/15–16/अ–12 पर दर्ज किया जाकर आपत्तियां आहूत की गई तथा समयावधि में कोई आपत्ती प्राप्त नही आवेदक द्वारा सीमांकन नियमों का विधिवत पालन करते हुये आदेश दिनांक 12.04.2016 को सीमाकंन आदेश पारित किया गया। उक्त प्रकरण में विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया और सरहदी कृषकों को सीमांकन सम्बंधी सूचना पत्र जारी किया गया। परन्तु अनावेदक क 1 को विधिवत तलब किया गया दिनांक 12.04.2016 से सीमांकन स्थल का पंचनामा तैयार हुआ। कि, मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक क. 1 को विधिवत पक्षकार बनाया जाकर

-2-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक–निगरानी–13–पीबीआर/2016

भारत सिंह विरूद्ध कमलेश आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
02–05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री एस.पी. धाकड़ अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–गुना के प्रकरण क्रमांक 11/2015–16/स्व.निग. में पारित आदेश दिनांक 19–10–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 11–06–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य	